

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 940वी बैठक दिनांक 23.02.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफ्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	द्वारा प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/2214/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/1302/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1824/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1504/2025	1(a)	मण्डला	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/112/2024	1(a)	अलीराजपुर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/1813/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/1517/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
8.	P2/739/2024	1(a)	नर्मदापुरम	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/1888/2025	1(a)	गुना	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1835/2025	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
11.	P2/1688/2025	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण**

12.	P2/1074/2025	1(a)	खरगोन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	152/2008	1(a)	छिन्दवाड़ा	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
14.	P2/2238/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1915/2025	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
16.	P2/1048/2025	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	619/2010	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	Letter to RO, MoEF&CC
18.	8308/2021	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	Letter to RO, MoEF&CC
19.	250/2008	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	Letter to RO, MoEF&CC
20.	498/2009	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	Letter to RO, MoEF&CC

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

1. Proposal No.SIA/MP/MIN/561161/2025 Case No. P2/2214/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 Ha. for production capacity of Mining of Stone (Boulder) – 7,000 M3/Year, Gitti - 4000 M3/Year, M-sand 3000 M3/Year, at khasra No. 1238/1/1, Village Mau, Tehsil Suthaliya, District Rajgarh (M.P.) by Shri Manoj Sharma, Ward No. - 012, Sevaram Colony, Suthaliya, Mhow, Rajgarh (M.P.) 456677

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 863वी बैठक दिनांक 23.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 863वी बैठक दिनांक 23.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ द्वारा आदेश क्र. 608 दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.05.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक अर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

2. Proposal No. SIA/MP/MIN/559722/2025, Case No. P2/1302/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.60 ha., for production capacity of Gitti - 25,000 cum per year & M-Sand – 15,000 cum per year, at Khasra No. 942, Village Ghattiya Tehsil Ghattiya, District Ujjain (MP) by M/s. Shree Sadhguru Infrastructure private limited, Partner Shri Anil Mirdha, R/o - Plot no. 1 Jagdamba Colony Deharkebalaji, Jaipur -302039 (Rj.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 2286 दिनांक 06.09.2024 के माध्यम से दिनांक 31.12.2028 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.12.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

3. Proposal No.SIA/MP/MIN/509882/2025, Case No. P2/1824/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production Capacity of 8820 Cum/year (as per DEIAA EC), at Khasra No. 469 (S), Village- Gandhawad, Tehsil- Segaon, District- Khargone (M.P.) by Shri Lokesh Patidar S/O Shri Asharam Patidar R/O-Vill Nandgaon (Bagud), Tehsil- Khargone, Dist- Khargone (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 5056 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से दिनांक 10 वर्ष (04.10.2035) तक लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.10.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नाशयण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

4. Proposal no. SIA/MP/MIN/533506/2025, Case No. P2/1504/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry, in an area of 2.04 ha., for production capacity of 54696 m<sup>3</sup> /year at khasra No. 35/2 and 38, Village- Chargaon Tehsil- Narayanganj District Mandla (M.P.) by Shri Mohammad Rafiuddin, Ward no. 08, Plot no. 205, in front of Masjid, Sleemnabad, Katni. M. P. 483440

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

*"The committee have observed that the query reply by PP/Consultant is not proper and documents are lacking. The PP/Consultant has been given three opportunities dated 30/06/2025, 29/08/2025 and 27/01/2026, inspite of this the PP/Consultant is not serious to submit proper reply/file documents in time. In view of the facts case cannot be recommended for grant of EC."*

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं एवं जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष स्पष्टीकरण दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

5. Proposal No. SIA/MP/MIN/477548/2024, Case No. P2/112/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in area of 10.00 Hectare, for Production Capacity of 9600 cum per annum, at khasra No. 2 in Village - Rajawat, Tehsil - Alirajpur, District - Alirajpur (MP) by Subhash Chandra Karnavat, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

*"The query reply is found satisfactory, however the Hon,ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available in the name of title "replenishmentstudy.pdf" does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. The Env. Consultant submitted that replenishment study part is not covered within their scope of work.*

*Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study. In line of compliance of the Hon,ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."*

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाइन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/525491/2025, Case No. P2/1813/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 3.45 ha., for Production Capacity of 1,00,000 Cubic Meter (Boulder- 40,000 m<sup>3</sup> & M-Sand - 60,000 m<sup>3</sup>), at Khasra No. 302, Village Bilhari, Tehsil Chandla District Chhatarpur (M.P.) by Ashok Singh, R/o Ward No. 04, Old Bus Stand, Laundi, Chhatarpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 825वी बैठक दिनांक 04.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 825वी बैठक दिनांक 04.09.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा आदेश क्र. 1557 दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से दिनांक 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य


(शिव नाशयण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षों में से काटे जाने वाले 07 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 70 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं वृक्षों के काटने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेश का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

7. Proposal No.SIA/MP/MIN/536801/2025, Case No. P2/1517/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.797 ha., for production capacity of Gitti 4,000 m<sup>3</sup>/year & M-Sand 4,000 m<sup>3</sup>/year, at at Khasra No. 54 & 53, 7/3, 8/1, Village - Nandgaon, Tehsil- Sanawad, District- Khargone (M.P.) by Shri Mushtaq Malik, S/o Shri Abdul Sattar Malik, resides at Vaishnav Colony, Sanawad, Tehsil Sanawad, District Khargone (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 809वी बैठक दिनांक 10.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान रकबा 1.710 हेक्टेयर की स्वीकृत होना बताई गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान श्री ओमप्रकाश बंशा रकबा 1.70 हेक्टेयर (लीज अवधि दिनांक 16.05.2027 तक) एवं श्री गुजरेज मलिक रकबा 1.80 हेक्टेयर (लीज अवधि दिनांक 26.06.2028 तक) स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 5.297 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर खरगौन द्वारा प्रश्नाधीन खदान में जारी एकल प्रमाण पत्र एवं PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा के आधार पर 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वस्तुस्थिति के संबंध में स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत/जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

8. Proposal No. SIA/MP/MIN/521506/2025, Case No. P2/739/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 10.00 ha., for Production Capacity of 1,80,000 cum per annum, at Khasra No 48, Village – Amkhedi , Tehsil - Babai, District - Narmadapuram (M.P.) by Shri Gopal Singh, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

*"The query reply is found satisfactory, however the Hon,ble Supreme Court Order dated 22/08/2025 directs for carrying out replenishment study in case of sand mining. The Parivesh portal document available in the name of title "replenishmentstudy.pdf" does not contain any technical details fulfilling replenishment study point of view. The Env. Consultant submitted that replenishment study part is not covered within their scope of work.*

*Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of Replenishment Study. In line of compliance of the Hon,ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc."*

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/544390/2025, Case no. P2/1888/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 2.0 Ha., for production capacity of 15,000 Cubic meter/year, at Khasra No. - 263/1/3(S), Village- Mavan, Tehsil & Distt. – Guna (M.P.) by Shri Dilmeet Singh Bal, Project Proponent, Ward No. 18, Khejra, Tahsil & District – Guna (M.P.)- 473001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना द्वारा आदेश क्र. 369 दिनांक 09.05.2025 के माध्यम से दिनांक 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.05.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक 'नो माइनिंग जोन' के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक 'नो माइनिंग जोन' के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य


  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/544317/2025, Case no. P2/1835/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for Production Capacity of Stone (Gitti)- 8000 m<sup>3</sup>/Year & M-Sand – 10,000 m<sup>3</sup>/Year, Khasra No. 851/9/1 (S), Village Pathara, Tehsil- Jatara, District: - Tikamgarh (M.P) by Shri Shivaji Sahu S/o Shri Chhotelal Sahu R/O-Gram- Ward no. 15, Block Colony Jatara, Tehsil Jatara, District-Tikamgarh (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान श्री धर्मवीर सिंह गौर रकबा 2.00 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित होना बताई गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में श्री धर्मवीर सिंह गौर की खदान रकबा 4.00 हेक्टेयर (लीज अवधि दिनांक 09.04.2027 तक) स्वीकृत/संचालित होना दर्शित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 6.00 हेक्टेयर होता है। अतः प्रकरण प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र कूटरचित प्रतीत होता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर खरगौन द्वारा प्रश्नाधीन खदान में जारी एकल प्रमाण पत्र एवं PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा के आधार पर 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वस्तुस्थिति के संबंध में स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत/जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नरसयण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/561571/2025 Case No. P2/1688/2025 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.28 ha. for production capacity- 51198 Tons per Annum, at Khasra No. 119/1, 120/1/2 & 123/3, Village-Bhaganwara Tehsil-Badwara District Katni (M.P.) by Shri Sandesh Kumar Jain, Partner, Kasturi enterprises, R/o MIG-II/12, Opposite Jain Mandir, Housing Board Colony, Katni (M.P.)- 483501

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 13212-13 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.10.2053 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/550042/2025, Case No. P2/1074/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 3.90 Ha., for production capacity 8000 m<sup>3</sup>/year & M-Sand 22,000 m<sup>3</sup>/year, at Khasra No. – 30, Village- Ibrahimipura, Tehsil-Gogawan, District-Khargone (M.P.) by Shri Dharmendra Bhawsar, Lease owner, R/O- House No 18, swastik residensi nimad motars ke pass, sanawad road, District-Khargone (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 831वी बैठक दिनांक 25.09.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 05.06.2025 के माध्यम से दिनांक 04.06.2035 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.06.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव सरायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य


(शिव नाशयण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुजता सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/536220/2025 Case No. 152/2008, Prior Environmental Clearance for Dolomite mine (opencast semi-mechanized method), in an area 5.0 ha, for production capacity of 19108 MT/year (as per approved mine plan), at Khasra No. 86, Village Malegaon, Tehsil-Souner, District Chhindwara (M.P.) by M/s Rajkumar N. Tirpude Civil line, Nagpur, Maharashtra Regarding Transfer of EC in the name of M/s Miraj Drymix Private Limited, Plot No 55-57 C, Bore Gaon Industrial Growth Center, Sausar, District - Chhindwada. (M.P.)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-


..... Committee observed in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date is 26-10-2019 and application for EC transfer on Parivesh is 03/05/2025, hence CCR is obtained from MOEFCC and uploaded on the Parivesh. In view of CCR compliance obtained by PP, case is recommended for transfer of EC.

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक M/s Rajkumar N. Tirpude Civil line, Nagpur, Maharashtra के नाम Dolomite mine (opencast semi-mechanized method), in an area 5.0 ha, for production capacity of 19108 MT/year (as per approved mine plan), at Khasra No. 86, Village Malegaon, Tehsil-Souner, District Chhindwara (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s Miraj Drymix Private Limited, Plot No 55-57 C, Bore Gaon Industrial Growth Center, Sausar, District - Chhindwada. (M.P.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 1268-69 दिनांक 07.03.2012 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल के लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 4804/1120/2019/12/1 दिनांक 26.10.2019 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.10.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव मारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/562835/2026, Case No. P2/2238/2026 Prior Environment Clearance Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 Ha., for production capacity Gitti – 80,000 m<sup>3</sup>/year & M-sand – 57,797m<sup>3</sup>/year, at Khasra No – 285/1, Village: Dotriya, Tehsil: Badnawar & District: Dhar (M.P). by Shri Anil Bansal, Authorized Person, M/s Bansal Construction Works Private Limited, 3rd floor, Tawa Complex, Bittan market, E-5 Arera Colony Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा आदेश क्र. 3362 दिनांक 18.11.2025 एवं अनुमोदित खनन योजना दिनांक 15.12.2025 के माध्यम से अस्थाई अनुज्ञा (3 वर्ष) तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.11.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/548185/2025 Case No. P2/1915/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.93 ha., for production capacity of 25000 cum per annum, at Khasra No. 70/1, Village- Marai Tehsil- Kundam District Jabalpur (M.P.) by Shri Ajay Kumar Bharti, Director, M/s Bharati Techno Projects Private Limited, Banaras Road Phaphamau, Opp Tata Motors, Prayagraj U.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान रकबा 1.310 हेक्टेयर की स्वीकृत होना बताई गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान श्रीमती कुसुम रकबा 2.47 हेक्टेयर (लीज अवधि दिनांक 26.12.2027 तक) एवं श्री श्याम सिंह रकबा 1.310 हेक्टेयर (लीज अवधि दिनांक 20.10.2026 तक) स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 6.71 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रश्नाधीन खदान में जारी एकल प्रमाण पत्र एवं PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा के आधार पर 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वस्तुस्थिति के संबंध में स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत/जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/558829/2025 Case No. P2/1048/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., for production capacity –50,000 cum/year, at Khasra No.– 488/21, Village: Jahoor, Tehsil: Rajpur & District: Barwani, (MP) by Shri Vijay Yadav, Owner, R/O, Krishan villa Bus Stand Julwaniya, Tehsil Rajpur, District-Barwani (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी द्वारा आदेश क्र. 821 दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.08.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक अर्थ)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
  - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

17. Case No. 619/2010, Prior Environment Clearance for Limestone mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 10.431 ha, for production capacity of 1.00 lac TPA, at Village Bhatia, Tehsil Maihar, District Satna by M/s KJS Cement Ltd., Shri Pawan Kumar Ahluwalia, MD, Village Amilia, P.O. & Teh. - Maihar, Distt- Satna (M.P) by KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh. Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (1) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।”


परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों एवं ADS Reply के माध्यम से प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स M/s KJS Cement Ltd. के नाम प्राधिकरण प्रश्नाधीन खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1258 दिनांक 08.10.2012 के माध्यम से जारी की गई थी जिसमें निहित समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों में से मुख्य शर्तें जैसे बैरियर जोन में वृक्षारोपण, फेंसिंग, गारलैण्ड ड्रेन, साईनेज बोर्ड आदि गूगल इमेज अनुसार परिलक्षित नहीं है एवं सी.ई.आर. के कार्यों के संबंध में भी कोई स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरणी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया जाये कि प्रश्नाधीन खदान के स्थल निरीक्षण हेतु एक जॉच दल गठित किया जाये जिसमें एक सदस्य SEIAA का भी सम्मिलित किया जाये। जिससे मौका निरीक्षण उपरांत स्पष्ट हो सके कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कितनी शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

18. Case No. 8308/2021, Prior Environment Clearance for Limestone Quarry (Opencast semi mechanized method) in an area of 23.230 ha. for production capacity of Limestone 560000 Tonne per annum, OB & Waste 60000 Tonne per annum, at Khasra No. 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1033, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 624), Village Bhadanpur South Patti, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) by M/s KJS Cement Ltd, NH-7 Road, Rajnagar, Maihar, Dist. Satna, MP 485771, Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (1) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"


परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों एवं ADS Reply के माध्यम से प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स M/s KJS Cement Ltd. के नाम प्राधिकरण प्रश्नाधीन खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र Identification No.- EC22B001MP156125 दिनांक 09.04.2022 के माध्यम से जारी की गई थी जिसमें निहित समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों में से मुख्य शर्तें जैसे बैरियर जोन में वृक्षारोपण, फेंसिंग, गारलैण्ड ड्रेन, साईनेज बोर्ड आदि गूगल इमेज अनुसार परिलक्षित नहीं हैं एवं सी.ई.आर. के कार्यों के संबंध में भी कोई स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरणी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया जाये कि प्रश्नाधीन खदान के स्थल निरीक्षण हेतु एक जॉच दल गठित किया जाये जिसमें एक सदस्य SEIAA का भी सम्मिलित किया जाये। जिससे मौका निरीक्षण उपरांत स्पष्ट हो सके कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कितनी शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

19. Case No. 250/2008: Prior Environmental Clearance transferred for Limestone Mine in an area of 9.008 ha for production capacity of 40000 MTPA at Khasra No. 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1080 at Village - Bhatia, Tehsil - Maihar, District - Satna (MP) to M/s KJS Cement Ltd., Rajnagar, Rewa Road, Maihar District Satna (MP).- Regarding transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों एवं ADS Reply के माध्यम से प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स M/s KJS Cement Ltd. के नाम प्राधिकरण प्रश्नाधीन खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 3011 दिनांक 06.11.2019 के माध्यम से जारी की गई थी जिसमें निहित समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों में से मुख्य शर्तें जैसे बैरियर जोन में वृक्षारोपण, फेंसिंग, गारलैण्ड ड्रेन, साईनेज बोर्ड आदि गूगल इमेज अनुसार परिलक्षित नहीं है एवं सी.ई.आर. के कार्यों के संबंध में भी कोई स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरणी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया जाये कि प्रश्नाधीन खदान के स्थल निरीक्षण हेतु एक जॉच दल गठित किया जाये जिसमें एक सदस्य SEIAA का भी सम्मिलित किया जाये। जिससे मौका निरीक्षण उपरांत स्पष्ट हो सके कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कितनी शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 940वी बैठक दिनांक  
23.02.2026 का कार्यवाही विवरण

20. Case No. 498/2009 Prior Environment Clearance for Limestone, Laterite, Ochre & White Clay mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 23.123 ha. for production capacity of 50000 TPA, at Khasra Nos. (as per leased deed) at Village Deori, Tehsil-Maihar, Distt-Satna M.P. by M/s KJS Cement Ltd., Village-Amilia, P.O. & Teh. Maihar, Distt- Satna (M.P), Regarding Transfer of EC in the name of KJS CEMENT (I) LIMITED, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 928वी बैठक दिनांक 12.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों एवं ADS Reply के माध्यम से प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स **M/s KJS Cement Ltd.** के नाम प्राधिकरण प्रश्नाधीन खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क्र. 1518 दिनांक 19.05.2016 के माध्यम से जारी की गई थी जिसमें निहित समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों में से मुख्य शर्तें जैसे बैरियर जोन में वृक्षारोपण, फेंसिंग, गारलैण्ड ड्रेन, साईनेज बोर्ड आदि गूगल इमेज अनुसार परिलक्षित नहीं है एवं सी.ई.आर. के कार्यों के संबंध में भी कोई स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरणी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया जाये कि प्रश्नाधीन खदान के स्थल निरीक्षण हेतु एक जाँच दल गठित किया जाये जिसमें एक सदस्य SEIAA का भी सम्मिलित किया जाये। जिससे मौका निरीक्षण उपरांत स्पष्ट हो सके कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कितनी शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष